

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल-462023

क्रमांक/अति.शि./2025-26/ 359

भोपाल, दिनांक- 10/10/2025

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले मध्यप्रदेश

विषय:-अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति भेजने विषयक।

संदर्भ:-संचालनालय लोक शिक्षण का पत्र अति.शि./2025-26/283 भोपाल दिनांक 04.09.2025।

—00—

संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों की "हमारे शिक्षक एप्प" के माध्यम से ऑनलाईन अटेंडेंस के आधार पर मानदेय जनरेट कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है। यह देखने में आया है, कि आज दिनांक तक कई प्राचार्यों द्वारा उपस्थिति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित नहीं की गई है, जिससे अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने में विलम्ब की स्थिति निर्मित हुई है।

अतः समस्त संकुल प्राचार्यों को निर्देशित करें, कि माह सितम्बर 2025 की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को तीन दिवस में प्रेषित की जाए एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 15.10.2025 तक भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करें। अन्यथा की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

भविष्य में प्रतिमाह की 2 तारीख तक संकुल प्राचार्य द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को उपस्थिति प्रेषित करना एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा 5 तारीख तक भुगतान की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

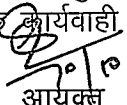

(शिल्पा गुप्ता)
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक- 10/10/2025

पृ.क्रमांक/ अति.शि./2025-26/ 360

प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश